न्यूक्लियर लाइबलिटिी फंड

स्रोत: बिज़िनेस स्टैंडर्ड

भारत आगामी **परमाणु ऊर्जा विधेयक** के तहत एक **न्यूक्लियर लाइबलिटिी फंड (परमाणु दायित्व कोष)** स्थापति करने की योजना बना रहा है, जसिका उद्देश्य **परमाणु ऊर्जा अधनियिम, 1962** और **परमाणुवीय नुकसान के लयि सविलि दायत्वि अधनियिम (CLNDA), 2010** के कुछ पहलुओं में संशोधन करना है।

- इस कदम का उद्देश्य देश के **परमाणु क्षेत्र** में **नजी और वदिेशी नविेश को आकर्षति** करना है।
- **न्यूक्लियर लाइबलिटिी फंड की आवश्यकता:** भारत की **कुल वद्यिुत उत्पादन** में परमाणु ऊर्जा का योगदान **3% से भी कम** है कतिु **भारत 2047 तक अपनी क्षमता को 12 गुना** बढ़ाने की योजना बना रहा है ताक िजीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कयिा जा सके और **2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन** लक्ष्य प्राप्त कयिा जा सके।
  - पछिले कानूनों के तहत **आपूर्तकिर्ताओं** की जवाबदेही **असीमति होती** थी, जो वदिेशी नविेश को हतोत्साहति करता था और **वर्ष 2015** का **न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल** कानूनी दृष्ट िसे अनश्चिति था।
  - प्रस्तावति न्यूक्लियर लाइबलिटिी फंड एक संरचति दुर्घटना क्षतपूर्त िढाँचा प्रदान करता है, जो नजी भागीदारी को बढ़ावा देता है और वदिेशी आपूर्तकिर्ताओं को आकर्षति करता है।
- **प्रस्तावति न्यूक्लियर लाइबलिटिी फंड की प्रमुख वशिेषताएँ:** यह कोष परमाणुवीय दुर्घटना क्षतपूर्त िको कवर करता है, जो ₹1,500 करोड़ से अधकि होता है और ऑपरेटर के दायत्वि को पूरक बनाता है।
  - यह **वैधानकि, संरचति ढाँचा** प्रदान करता है, जो वर्तमान **असंगठति भुगतान प्रणाली** की जगह लेता है।
  - यह नजी और वदिेशी नविेशकों के लयि परमाणु ऊर्जा और यूरेनयिम खनन में जोखमि को न्मिन करता है।

परमाणुवीय नुकसान के लयि सविलि दायत्वि अधनियिम (CLNDA), 2010

- यह **परमाणु दुर्घटना पीड़तिों को क्षतपूर्त** िसुनश्चिति करता है और **ऑपरेटर की ज़म्मिेदारी** को परभिाषति करता है।
- यह **सप्लीमेंटरी कॉम्पेन्सेशन कन्वेंशन (CSC, 1997)** के अनुरूप है, जसि भारत ने वर्ष 2016 में अनुमोदति कयिा।
- अधनियिम ऑपरेटरों पर **सख्त नो-फॉल्ट दायत्वि** लगाता है तथा उनकी देयता को **₹1,500 करोड़** तक सीमति करता है। यद िदावे इससे अधकि होते हैं, तो सरकार हस्तक्षेप करती है, जसिकी देयता **300 मलियिन वशिेष आहरण अधकिार (Special Drawing Rights- SDR)** के रुपए समकक्ष तक सीमति होती है।
- अधनियिम के तहत, **न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन** सुनश्चिति करता है क िपीड़तिों को **न्यायसंगत क्षतपूर्त** िप्राप्त हो।

और पढ़ें: परमाणुवीय नुकसान के लयि सविलि दायत्वि अधनियिम, 2010

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nuclear-liability-fund